प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गरीब परिवार को स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की 5 करोड़ महिलाओं को जमानत राशि मुक्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए दिनांक 01.05.2016 को ''प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी और अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। एसईसीसी सूची के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों को शामिल करते हुए पीएमयूवाई के तहत संभाव्य लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की गई है। बढ़ाए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस योजना में अब सभी एससी/एसटीज परिवारों, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (ग्रामीण) के लाभार्थियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), वन्य निवासी, अत्यधिक पिछड़े वर्ग (एमबीसी), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजातियों, द्वीपों/नदी द्विपों में निवास करने वाली जनता, जिनके पास कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं है, को शामिल किया जाएगा। पीएमयूवाई योजना की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवार की वयस्क महिला के नाम से जारी किया जाता है बशर्ते की परिवार के किसी पारिवारिक सदस्य के नाम से कोई एलपीजी कनेक्शन मौजूद नहीं हो।

- इस योजना में नया एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 1600 रुपए तक की नकद सहायता शामिल की जाती है और यह नकद सहायता केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

- ग्राहक चूल्हे और प्रथम रीफिल की खरीद की लागत वहन करता है। ग्राहकों के पास प्रथम रीफिल की खरीद पर चूल्हा अथवा दोनों शून्य ब्याज दर पर ऋण पर लेने का विकल्प होता है और इसकी वसूली लाभार्थी को प्राप्त होने वाली राजसहायता के माध्यम से की जाती है। प्रथम 6 रीफिल्स के लिए ऋण की वसूली नहीं की जाती है।